राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–1779/2010/बीकानेर

श्री जयसिंह चौहान पुत्र राधेश्याम सिंह चौहान
जाति राजपूत, निवासी–ग्राम बंसत कुंज,
आदर्श विधा मन्दिर स्कूल के पास, गंगाशहर बीकानेर
तहसील व जिला बीकानेर .....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये उप–पंजीयक
   बीकानेर
2. मु. छोगी पुत्र श्री किसनाराम जाति लुहार
   सोलंकी निवासी चरकडा तहसील नोखा
   जिला बीकानेर हाल निवासी नैणिया तहसील
   कोलायत जिला बीकानेर

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री बद्रीप्रसाद सांखी,
अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय, अभिभाषक। .....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.10.2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी श्री जयसिंह चौहान द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 09.08.2010 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) ने उप पंजीयक बीकानेर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 2 से उसकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1534, 1536, 1537 एवं 1538 कुल रकबा 14.39 हैक्टर स्थित ग्राम चरकडा को जरिये पंजीकृत बयनामा द्वारा क्रय कर आराजी का विक्रय पत्र वास्ते पंजीयन कुल मालियत 5,00,000/– रूपये पर मुद्रांक कर अदा कर प्रस्तुत किया गया जिस पर बाद पंजीयन दस्तावेज लौटा दिया एवं उसके बाद उप पंजीयक नोखा ने प्रकरण को कमी मुद्रांक का मानकर एक रेफरेन्स विद्वान कलेक्टर (मुद्रांक) बीकानेर के यहां पर प्रेषित किया गया जिस पर विद्वान कलेक्टर (मुद्रांक) बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 09.08.2010 के द्वारा क्रय की गयी आराजी की कुल मालियत 16,92,000/– रूपये मानकर कमी मुद्रांक 33,680/– रूपये पंजीयन शुल्क 6720/– रूपये एवं शास्ति 800/– रूपये कुल 41000/– रूपये वसूल करने का आदेश प्रदान कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3. निगरानी दर्ज कर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

लगातार.....2

4. निगरानी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने के पश्चात् रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र पर निगरानी रेस्टोर की गयी।

5. बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गयी।

6. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि प्रकरण में प्रार्थी ने ऐमनेस्टी स्कीम का लाभ प्राप्त कर लिया है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर नियमानुसार निस्तारित किया जावें।

7. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की ओर से कथन किया गया कि निगरानीकर्ता ने ऐमनेस्टी स्कीम का लाभ प्राप्त कर लिया है जिससे आदेश अन्तिम हो गया है। निगरानी एडमिशन स्टेज पर ही एडमिशन के बिन्दु पर खारिज योग्य है।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया।

9. बहस के समय निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि उन्होनें ऐमनेस्टी स्कीम का लाभ प्राप्त कर लिया है। निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ अंडर प्रोटेस्ट प्राप्त करने का उल्लेख नहीं किया है। निगरानीकर्ता ने ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त किया है। इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार जब एक बार किसी आदेश की पालना में ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करते हुए क्रियान्विती कर दी जाती है तो इसका तात्पर्य यह है कि संबंधित पक्षों ने आदेश को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की खंडपीठ ने निगरानी संख्या 477/2015 मै0 रीजन पावर टैक प्रा0 लि0 बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 22.08.2016 में यह अवधारित किया है कि ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करने के पश्चात प्रकरणों में लाभ प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है क्योंकि एक प्रकरण में एक प्रकार का लाभ ही प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करने का तात्पर्य अपीलाधीन आदेश को अन्तिम रूप से स्वीकार करना है जिससे निगरानीकर्ता आगे विधिक चाराजोही का अधिकारी नहीं माना जा सकता।

10. विचाराधीन प्रकरण में गुणावगुण पर भी विचार किया जावें तो भी बिक्रीत भूमि मौका निरीक्षण में राष्ट्रीय राजमार्ग–89 से 2.9 कि.मी. दूरी पर स्थित होना पाया गया है। जबकि निगरानीकर्ता ने 3 कि.मी. से अधिक दूर होना बताया था। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका निरीक्षण के आधार पर बिक्रीत कृषि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग–89 से 2.9 कि.मी. दूरी पर स्थित होना मानते हुये बिक्रीत कृषि भूमि का मूल्यांकन करते हुये रूपये 41,000/– वसूल करने के आदेश दिये है जो नियमानुसार एवं विधिसम्मत है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने के कारण व विधिक रूप से चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थू राम) 4/10/16
सदस्य